

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

ओ० राधाकृष्णन शिक्षा स्कूल, ब्लॉक-6, जगन्नाथ लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिसा के सामने, जयपुर-302017

E-mail: rajssa.training@gmail.com

संख्या : राज.श.प./जय/Training/2020-21/14654

दिनांक : 10/9/20

अति. जिला/परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले।

विषय : कक्षा 1-8 की पाठ्यपुस्तकों के उपयोग हेतु सप्ताहवार कलेंडर गिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण का कार्य किया जा रहा है एवं विद्यार्थियों तक पाठ्यपुस्तक पहुंचाई जा रही है। इन पाठ्यपुस्तकों के निरन्तर अभ्यास की दृष्टि से 6 सप्ताह का कलेण्डर आपको प्रेषित किया जा रहा है। विद्यालयों की कक्षा-कक्षीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारु रखने में पाठ्यपुस्तकों के साथ कलेण्डर का उपयोग सार्थक साबित होगा।

कुल 6 सप्ताह का कलेण्डर पत्र के साथ सॉफ्ट कॉपी में संलग्न किया गया है। एक पृष्ठ पर दो सप्ताह का कलेण्डर अंकित है इस प्रकार 6 सप्ताह के कलेण्डर हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को तीन पृष्ठ उपलब्ध कराये जाने हैं। एक पृष्ठ की फोटो प्रति पर व्यय होने वाली राशि 50 पैसे हैं।

अतः समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाए की कक्षा 1-8 के समस्त विद्यार्थियों को उक्त 6 सप्ताह के कलेण्डर का विद्यालय स्तर पर श्वेत श्याम प्रिन्ट निकलवाकर यथा संभव पाठ्यपुस्तकों के साथ ही अथवा तत्काल शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जावें। फोटो स्टेट पर होने वाले व्यय (50 पैसे प्रति पृष्ठ) की राशि आपको उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त कार्य अविलम्ब पूर्ण करने हेतु संस्थाप्रधानों को निर्देशित करते हुये कलेण्डर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

21/9/20
10.9.20
(एम.आर.बगड़िया)

अति० राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

क्रमांक : राज.श.प./जय/Training/2020-21/14654

दिनांक : 10/9/2020

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, शारान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिलों।
8. कार्यालय प्रति।

21/9/20
10.9.20
उपायुक्त-द्वितीय

कार्यालय - राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर